

नौवहन मंत्रालय

मांग संख्या 87

नौवहन मंत्रालय

( ₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	1626.70	235.83	1862.53	1839.47	421.66	2261.13	2072.38	371.38	2443.76	1955.99	526.57	2482.56
<i>वसूलियां</i>	-0.42	-53.78	-54.20	...	-60.00	-60.00	...	-185.00	-185.00	...	-260.00	-260.00
<i>प्राप्तियां</i>	-319.05	...	-319.05	-320.00	...	-320.00	-320.00	...	-320.00	-320.00	...	-320.00
<b>निवल</b>	<b>1307.23</b>	<b>182.05</b>	<b>1489.28</b>	<b>1519.47</b>	<b>361.66</b>	<b>1881.13</b>	<b>1752.38</b>	<b>186.38</b>	<b>1938.76</b>	<b>1635.99</b>	<b>266.57</b>	<b>1902.56</b>
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	49.24	...	49.24	75.00	...	75.00	59.43	...	59.43	60.71	...	60.71
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
<b>पत्तनों का विकास</b>												
2. महापत्तनों का विकास	59.05	...	59.05	168.57	...	168.57	168.57	...	168.57	98.00	...	98.00
3. लघु पत्तनों का विकास												
3.01 लघु पत्तन	56.68	46.77	103.45	65.00	75.00	140.00	58.32	53.73	112.05	55.38	54.87	110.25
4. तेल प्रदूषण और अनुसंधान एवं विकास	10.26	...	10.26	14.00	...	14.00	4.05	...	4.05	6.00	...	6.00
<b>जोड़-पत्तनों का विकास</b>	<b>125.99</b>	<b>46.77</b>	<b>172.76</b>	<b>247.57</b>	<b>75.00</b>	<b>322.57</b>	<b>230.94</b>	<b>53.73</b>	<b>284.67</b>	<b>159.38</b>	<b>54.87</b>	<b>214.25</b>
<b>सागरमाला</b>												
5. सागरमाला												
5.01 सागरमाला स्कीमें और परियोजनाएं	171.13	...	171.13	130.00	...	130.00	131.12	...	131.12	150.00	...	150.00
5.02 सागरमाला के अंतर्गत अन्य स्कीमे	182.95	...	182.95	220.00	...	220.00	124.96	...	124.96	200.00	...	200.00
5.03 सागरमाला विकास कंपनी	...	125.00	125.00	...	250.00	250.00	...	125.00	125.00	...	200.00	200.00
5.04 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण	...	...	...	...	...	...	...	125.00	125.00	...	200.00	200.00
5.05 सीआरआईएफ से व्यय	...	...	...	...	...	...	...	-125.00	-125.00	...	-200.00	-200.00
<i>निवल</i>	<i>354.08</i>	<i>125.00</i>	<i>479.08</i>	<i>350.00</i>	<i>250.00</i>	<i>600.00</i>	<i>256.08</i>	<i>125.00</i>	<i>381.08</i>	<i>350.00</i>	<i>200.00</i>	<i>550.00</i>
<b>पोत और पोत निर्माण,</b>												
6. पोत निर्माण, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता	0.44	...	0.44	30.50	...	30.50	28.30	...	28.30	97.00	...	97.00
<b>अंतर्देशीय जल परिवहन</b>												
7. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान	442.82	...	442.82	500.00	...	500.00	384.95	...	384.95	450.00	...	450.00

( ₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. आईडब्ल्यूएआई परियोजना												
8.01 ईएपी घटक	...	...	...	...	...	...	370.54	...	370.54	200.00	...	200.00
8.02 कार्यक्रम घटक	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00	30.00	...	30.00
8.03 ईबीआर के तहत व्याज	...	...	...	...	...	...	77.00	...	77.00	77.00	...	77.00
जोड़- आईडब्ल्यूएआई परियोजना	...	...	...	...	...	...	497.54	...	497.54	307.00	...	307.00
9. बांग्लादेश को सहायता	27.04	...	27.04	8.00	...	8.00	8.64	...	8.64	...	...	...
जोड़-अंतर्देशीय जल परिवहन	469.86	...	469.86	508.00	...	508.00	891.13	...	891.13	757.00	...	757.00
10. वास्तविक वसूली	-0.42	...	-0.42	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>949.95</b>	<b>171.77</b>	<b>1121.72</b>	<b>1136.07</b>	<b>325.00</b>	<b>1461.07</b>	<b>1406.45</b>	<b>178.73</b>	<b>1585.18</b>	<b>1363.38</b>	<b>254.87</b>	<b>1618.25</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
11. महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण	8.51	...	8.51	10.75	...	10.75	8.50	...	8.50	8.60	...	8.60
12. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	...	...	...
13. हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	36.00	...	36.00	...	1.65	1.65	...	1.65	1.65	...	...	...
14. कोलकाता पत्तन न्यास	167.39	9.71	177.10	155.00	0.01	155.01	155.00	...	155.00	100.00	...	100.00
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>241.90</b>	<b>9.71</b>	<b>251.61</b>	<b>195.75</b>	<b>1.66</b>	<b>197.41</b>	<b>193.50</b>	<b>1.65</b>	<b>195.15</b>	<b>108.60</b>	...	<b>108.60</b>
<b>अन्य</b>												
15. नौवहन महानिदेशालय	97.25	0.57	97.82	112.65	35.00	147.65	93.00	6.00	99.00	103.30	11.70	115.00
16. दीप स्तंभ एवं दीप पोत महानिदेशालय												
16.01 दीपस्तंभ एवं दीप पोत महानिदेशालय	287.94	53.78	341.72	320.00	60.00	380.00	320.00	60.00	380.00	320.00	60.00	380.00
16.02 वसूली	...	-53.78	-53.78	...	-60.00	-60.00	...	-60.00	-60.00	...	-60.00	-60.00
16.03 प्राप्ति	-319.05	...	-319.05	-320.00	...	-320.00	-320.00	...	-320.00	-320.00	...	-320.00
<i>निवल</i>	<i>-31.11</i>	...	<i>-31.11</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>66.14</b>	<b>0.57</b>	<b>66.71</b>	<b>112.65</b>	<b>35.00</b>	<b>147.65</b>	<b>93.00</b>	<b>6.00</b>	<b>99.00</b>	<b>103.30</b>	<b>11.70</b>	<b>115.00</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>	<b>308.04</b>	<b>10.28</b>	<b>318.32</b>	<b>308.40</b>	<b>36.66</b>	<b>345.06</b>	<b>286.50</b>	<b>7.65</b>	<b>294.15</b>	<b>211.90</b>	<b>11.70</b>	<b>223.60</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1307.23</b>	<b>182.05</b>	<b>1489.28</b>	<b>1519.47</b>	<b>361.66</b>	<b>1881.13</b>	<b>1752.38</b>	<b>186.38</b>	<b>1938.76</b>	<b>1635.99</b>	<b>266.57</b>	<b>1902.56</b>
<b>ख. विकासाल्पकशीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. उद्योग	36.76	...	36.76	32.50	...	32.50	29.10	...	29.10	97.84	...	97.84
2. बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	445.99	...	445.99	593.32	...	593.32	550.52	...	550.52	497.98	...	497.98
3. नौवहन	127.25	...	127.25	142.65	...	142.65	123.00	...	123.00	103.30	...	103.30
4. अंतर्देशीय जल परिवहन	452.95	...	452.95	368.00	...	368.00	766.13	...	766.13	670.36	...	670.36
5. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	48.68	...	48.68	73.00	...	73.00	58.63	...	58.63	59.87	...	59.87
6. बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजी परिव्यय	...	171.77	171.77	...	325.00	325.00	...	178.73	178.73	...	254.87	254.87

( ₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
7. नौवहन पर पूंजी परिव्यय	...	0.57	0.57	...	35.00	35.00	...	6.00	6.00	...	11.70	11.70
8. अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	9.71	9.71	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
9. अभियांत्रिक उद्योगों के लिए ऋण	...	...	...	...	1.65	1.65	...	1.65	1.65	...	...	...
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>1111.63</b>	<b>182.05</b>	<b>1293.68</b>	<b>1209.47</b>	<b>361.66</b>	<b>1571.13</b>	<b>1527.38</b>	<b>186.38</b>	<b>1713.76</b>	<b>1429.35</b>	<b>266.57</b>	<b>1695.92</b>
<b>अन्य</b>												
10. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	140.00	...	140.00	125.00	...	125.00	86.64	...	86.64
11. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	195.60	...	195.60	170.00	...	170.00	100.00	...	100.00	120.00	...	120.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>195.60</b>	<b>...</b>	<b>195.60</b>	<b>310.00</b>	<b>...</b>	<b>310.00</b>	<b>225.00</b>	<b>...</b>	<b>225.00</b>	<b>206.64</b>	<b>...</b>	<b>206.64</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1307.23</b>	<b>182.05</b>	<b>1489.28</b>	<b>1519.47</b>	<b>361.66</b>	<b>1881.13</b>	<b>1752.38</b>	<b>186.38</b>	<b>1938.76</b>	<b>1635.99</b>	<b>266.57</b>	<b>1902.56</b>

( ₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
<b>अन्य सहकारी समितियों को उधार</b>												
1. कोचीन बंदरगाह न्यास	...	27.79	27.79	...	5.90	5.90	...	67.41	67.41	...	46.71	46.71
2. पाराद्वीप बंदरगाह न्यास	...	76.97	76.97	...	120.00	120.00	...	118.00	118.00	...	123.00	123.00
3. बोचिदम्बरन बंदरगाह न्यास	...	140.07	140.07	...	341.62	341.62	...	185.71	185.71	...	535.99	535.99
4. जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह न्यास	...	1383.01	1383.01	...	2065.35	2065.35	...	2817.39	2817.39	...	2127.88	2127.88
5. न्यू मैंगलोर बंदरगाह न्यास	...	77.55	77.55	...	87.40	87.40	...	71.10	71.10	...	81.90	81.90
6. चेन्नई बंदरगाह न्यास	...	49.99	49.99	...	73.51	73.51	...	79.52	79.52	...	84.00	84.00
7. मुम्बई बंदरगाह न्यास	...	234.15	234.15	...	431.57	431.57	...	492.27	492.27	...	518.42	518.42
8. दीनदयाल बंदरगाह न्यास कांडला	...	325.45	325.45	...	458.07	458.07	...	382.36	382.36	...	711.88	711.88
9. मोरमंगांव बंदरगाह न्यास	...	52.23	52.23	...	241.19	241.19	...	30.47	30.47	...	29.18	29.18
10. विशाखापत्तनम बंदरगाह न्यास	...	277.00	277.00	...	108.00	108.00	...	133.51	133.51	...	131.12	131.12
11. कामराजर बंदरगाह न्यास	...	403.95	403.95	...	250.00	250.00	...	200.00	200.00	...	300.00	300.00
12. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण	...	314.78	314.78	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	...	157.10	157.10	...	495.00	495.00	...	495.00	495.00	...	660.00	660.00
14. भारतीय पोत निगम	...	645.50	645.50	...	50.00	50.00	...	200.00	200.00	...	50.00	50.00
15. भारतीय तलकर्मण निगम	...	15.41	15.41	...	19.62	19.62	...	19.62	19.62	...	20.00	20.00
16. कोलकाता बंदरगाह न्यास	...	81.36	81.36	...	82.57	82.57	...	130.76	130.76	...	157.71	157.71
17. सागरमाला विकास कंपनी	125.00	...	125.00	250.00	...	250.00	125.00	...	125.00	200.00	...	200.00

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
जोड़-अन्य सहकारी समितियों को उधार जोड़	125.00	4262.31	4387.31	250.00	4829.80	5079.80	125.00	5423.12	5548.12	200.00	5577.79	5777.79
	125.00	4262.31	4387.31	250.00	4829.80	5079.80	125.00	5423.12	5548.12	200.00	5577.79	5777.79

(₹ करोड़)

- सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय के खर्च के लिए है।
- महापत्तनों का विकास:** यह प्रमुख बंदरगाहों के विकास के लिए है जिसमें वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन न्यास और मुरमुगांव पत्तन न्यास शामिल हैं।
- लघु पत्तनों का विकास:** इसमें अंडमान, लक्षद्वीप, हार्बर वर्क्स, नौवहन मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय को सहायता शामिल है।
- तेल प्रदूषण और अनुसंधान एवं विकास:** यह प्रावधान 14 तेल संचालन प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों में और साथ ही अनुसंधान एवं विकास योजनाओं के व्यय के लिए तेल प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरणों (पत्तन जल में टीयर -1 तेल फैल) की खरीद के लिए है।
- सागरमाला:** यह प्रावधान चरण 1 में तटीय सामुदायिक विकास, तटीय क्षेत्रों के विकास और अनूठे और नवीन परियोजनाओं के वित्तपोषण और सागरमला विकास कंपनी के लिए आवंटन के लिए सहायता के लिए है, जिसे वित्तपोषण सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। परियोजना विशेष प्रयोजन वाहन और शेष परियोजनाओं के तहत अवशिष्ट परियोजनाएं। सागरमला कार्यक्रम के तहत पहचाने गए परियोजनाओं से 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक बुनियादी ढांचे के निवेश को जुटाए जाने की संभावना है, घरेलू जलमार्ग (अंतर्देशीय और तटीय) के शेरों को दोबारा मिश्रण में मिलाकर 35,000-40,000 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत लागत उत्पन्न होती है, जो 110 बिलियन अमरीकी डालर से पच्य निर्यात को बढ़ावा देता है और अगले 10 वर्षों में 40 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों सहित 1 करोड़ नई नौकरियों का सृजन करने में सक्षम है।
- पोत निर्माण, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता:** यह प्रावधान पोत निर्माण के लिए अनुसंधान और विकास योजनाओं के लिए अनुदान देने के लिए है। इसमें रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों शिपयार्ड को छोड़कर सभी भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता का भुगतान भी शामिल है।
- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान:** भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) को अक्टूबर, 1986 में जहाजरानी और नेविगेशन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और नियमन के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित किया गया था। आईडब्ल्यूएआई मुख्य रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) के बुनियादी ढांचे के विकास और विनियमन का कार्य करता है। राष्ट्रीय जलमार्ग में अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) विकास गतिविधियों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

- आईडब्ल्यूएआई परियोजना:** यह प्रावधान अंतर्देशीय जलमार्ग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ई ए पी परियोजनाएं के लिए - (i) एमएमटी, वाराणसी के निर्माण की चार उप-परियोजनाओं का कार्यान्वयन और कमीशन है; (ii) एमएमटी, साहिबगंज में निर्माण; (iii) फराक्का में नेविगेशन लॉक; और (iv) एमएमटी का निर्माण, हल्दी और जेएमवीपी के तहत अन्य अधीनस्थ परियोजनाएं। "
- महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण:** ये प्रमुख बंदरगाहों के लिए टैरिफ प्राधिकरण की स्थापना के लिए अनुदान हैं।
- कोलकाता पत्तन न्यास:** यह कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा हल्दिया जलमार्ग और हुगली नदी में अनुरक्षण और तलकर्मण हेतु सन्डि के भुगतान के लिए है।
- नौवहन महानिदेशालय** यह प्रावधान नौवहन महानिदेशालय जो मर्चेंट नौवहन अधिनियम, 1958 के तहत एक सांविधिक प्राधिकरण है, के स्थापना व्यय के लिए है। यह मर्चेंट नौवहन विधियों से संबंधित सभी मामलों के लिए विनियामक कार्य करता है। यह निदेशालय नाविकों के कल्याण का कार्य भी करता है। यह प्रावधान समुद्री आपातकालीन निधि तथा डीजी नौवहन ऑनलाइन परीक्षा संबंधी व्यय जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी शामिल है, के प्रशासन के लिए भी है।
- दीप स्तंभ एवं दीप पोत महानिदेशालय** दीपस्तंभ और दीपपोत संगठन सरकार का एक अधीनस्थ संगठन है जो दीपपोत, ध्वनि संकेत, वायोज, रेडिओ संकेत आदि जैसे नौसंचालन सहायता प्रदान करता है। यह दीपस्तंभों के निर्माण और अनुरक्षण तथा आपोतों के मार्गनिर्देशक का कार्य भी करता है। पूंजीगत प्रावधान दीपस्तंभों और अन्य नौसंचालन साधनों का निर्माण और विकास के लिए है। इसे भारतीय दीपस्तंभ अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अनुसार संग्रहीन दीप शुल्कों से पूरा किया जाता है।